32760/2019/Admin Section

फा.सं.3(12)/2016-प्रशासन
भारत सरकार
संसदीय कार्य मंत्रालय

92,संसद भवन,
नई दिल्ली।

दिनांक: 9 मई, 2019

सेवा में

उप निदेशक,
रोजगार समाचार,
सूचना भवन, कमरा नं.764, 7वां तल,
सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स,
लोधी रोड़,
नई दिल्ली-110003

विषय: संसदीय कार्य मंत्रालय में अवर सचिव के ग्रेड में रिक्ति के विज्ञापन का प्रकाशन।

महोदय,

मुझे आपसे 'रोजगार समाचार' के अगले अंक में संलग्न रिक्ति परिपत्र को प्रकाशित करने का अनुरोध करने का निदेश हुआ है। वह पद जिसके लिए रिक्ति परिपत्र प्रकाशित कराया जा रहा है, पदानुक्रम में एक महत्वपूर्ण कड़ी है और इसलिए उसे लंबे समय तक रिक्त नहीं रखा जा सकता है।

इस संबंध में बिल भुगतानार्थ इस मंत्रालय को भेज दिया जाए।

भवदीय,

9/5/2019
(शरद द्विवेदी)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 23034763

फा.सं.3(12)/2016-प्रशासन
भारत सरकार
संसदीय कार्य मंत्रालय

92,संसद भवन,
नई दिल्ली-110001

दिनांक: 09.05.2019

कार्यालय ज्ञापन

विषय: संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 में प्रतिनियुक्ति आधार पर अवर सचिव के एक पद का भरा जाना।

संसदीय कार्य मंत्रालय में प्रतिनियुक्ति आधार पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 में अवर सचिव के एक पद को भरने के लिए पात्र अधिकारियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद की ड्यूटी का स्वरूप मंत्रालय के संसदीय और विधायी कार्यों के निपटान सहित प्रशासनिक प्रकार का होगा। पद हेतु ब्यौरा/पात्रता शर्तें **अनुबंध-I** में दी गई हैं। इस कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से योग्य अधिकारियों के आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। चयनित अधिकारी का वेतन और सेवा की अन्य शर्तें कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के समय समय पर यथा संशोधित कार्यालय ज्ञापन संख्या 6/8/2010-स्थापना (वेतन-II) दिनांक 17.6.2010 के अनुसार विनियमित की जाएंगी ।

2. केवल ऐसे अधिकारियों के आवेदन पर विचार किया जाएगा, जिनकी आयु आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी और जिन्हें उचित माध्यम से भेजा जाएगा और जिनके साथ निम्नलिखत विवरण संलग्न होगा: (i) **अनुबंध-II** में दिए गए निर्धारित प्रपत्र में जीवन-वृत; (ii) कम से कम पिछले पांच वर्षों की ए.सी.आर. सहित ए.सी.आर./ए.पी.ए.आर. सहित अधिकारी की ए.सी.आर./ए.पी.ए.आर. डोजियर अथवा अधिकारी की कम से कम पिछले पांच वर्षों की ए.सी.आर./ए.पी.ए.आर. की स्पष्ट फोटोप्रतियां जोकि ग्रुप 'क' के अधिकारी द्वारा विधिवत अनुप्रमाणित हों और उसके साथ इस बात का प्रमाणपत्र हो कि विगत वर्षों की ए.सी.आर./ए.पी.ए.आर. में कोई 'प्रतिकूल टिप्पणी' नहीं हैं; (iii) संवर्ग संबंधी अनुमति; (iv) सतर्कता और अनुशासनिक दृष्टि से अनुमति; (v) पिछले दस वर्षों के दौरान अधिकारी पर लगाई गई छोटी अथवा बड़ी शास्तियों, यदि कोई हों तो, को दर्शाने वाला विवरण; (vi) यह प्रमाणपत्र कि चयन किए जाने की स्थिति में, अधिकारी को पद का कार्यभार संभालने के लिए कार्यमुक्त कर दिया जाएगा।

3. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि इच्छुक और योग्य अधिकारियों के निर्धारित प्रपत्र में भरे हुए आवेदन **श्री धीरेन्द्र चौबे, उप सचिव (प्रशासन), संसदीय कार्य मंत्रालय कमरा न.92, संसद भवन, नई दिल्ली को रोजगार समाचार में इस विज्ञापन के प्रकाशित होने की तारीख से 60 दिन के भीतर भिजवा दें।** ऐसे आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा जिनके साथ उपरोक्त पैरा 2 में उल्लिखित अपेक्षित प्रमाणपत्र/दस्तावेज़ संलग्न नहीं होंगे अथवा जो आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख के बाद प्राप्त होंगे।

9/5/2019
(शरद द्विवेदी)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 23034763

सेवा में

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
2. सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के मुख्य सचिव।
3. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (स्थापना अधिकारी), भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. लेखा महानियंत्रक, लोक नायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली।
5. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली।
6. तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., संसदीय कार्य मंत्रालय को इस परिपत्र को मंत्रालय की वैबसाइट पर अपलोड करने के लिए।

अनुबंध - I

1. पद का नाम : अवर सचिव

2. वर्गीकरण : सामान्य केन्द्रीय सेवा, ग्रुप 'क' राजपत्रित

3. वेतनमान : वेतन मैट्रिक्स का स्तर 11
[वेतन बैंड 3 (रू.15600-39100)+ग्रेड वेतन रू.6,600/- संशोधन पूर्व मान]

4. पात्रता शर्तें : **केंद्रीय/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन अधिकारी:-**

(क) (i) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारक; अथवा

(ii) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद ग्रेड में छ: वर्ष की सेवा वेतन मैट्रिक्स के स्तर 8 [वेतन बैंड 2 (रू.9300-34800)+ग्रेड वेतन रू.4,800/- संशोधन पूर्व मान] में की हो अथवा समकक्ष; और

(ख) (i) प्रशासन में पांच वर्ष का अनुभव जिसमें एक वर्ष का अनुभव संसदीय अथवा विधायी कार्यों का होगा।

टिप्पणी 1: पोषक वर्ग में विभागीय अधिकारीगण, जो पदोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति पर आने वाले अधिकारी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारण के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पणी 2: उसी अथवा केन्द्र सरकार के किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले किसी दूसरे संवर्ग बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पणी 3: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

अनुबंध II

जीवनवृत्त का प्रोफार्मा

1. नाम और पता, स्पष्ट अक्षरों में :---

2. जन्मतिथि (ईस्वी सन् में) :---

3. केंद्र/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के नियमों के अंतर्गत सेवानिवृत्ति की तारीख :---

4. शैक्षिक योग्यता :---

5. क्या इस पद के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य योग्यताएं पूरी करते हैं। (यदि कोई योग्यता नियमों में निर्धारित किसी योग्यता के समकक्ष मानी गई है तो उसके प्राधिकार के बारे में बताएं।)

		अपेक्षित योग्यताएं/अनुभव	अधिकारी की योग्यताएं/अनुभव
अनिवार्य	(1)		
	(2)		
	(3)		
वांछनीय	(1)		
	(2)		

6. कृपया स्पष्ट रूप से बताएं कि ऊपर आपके द्वारा की गई प्रविष्टियों को ध्यान में रखते हुए क्या आप इस पद की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं।

---

7. कालक्रम में नियोजन का ब्यौरा। यदि नीचे जगह कम है तो एक अलग कागज संलग्न करें जो आपके हस्ताक्षर द्वारा विधिवत अधिप्रमाणित हो।

क्र.सं.	कार्यालय/संस्था/संगठन	पद, जिस पर कार्य किया	तारीख से	तारीख तक	वेतनमान और मूल वेतन	कार्य की प्रकृति

8. वर्तमान नियोजन की प्रकृति अर्थात तदर्थ अथवा अस्थाई अथवा स्थाई

9. यदि वर्तमान नियोजन प्रतिनियुक्ति/संविदा के आधार पर है तो कृपया बताएं:-

(क) आरंभिक नियुक्ति की तारीख : ------------------------------

(ख) प्रतिनियुक्ति/संविदा पर नियुक्ति की अवधि : ------------------------------

(ग) आप जिससे संबंधित हैं उस मूल कार्यालय/संगठन की प्रकृति : ------------------------------

10. वर्तमान नियोजन के बारे में अतिरिक्त विवरण

कृपया बताएं कि किसके अधीन कार्यरत हैं:-

(क) केंद्र सरकार :------------------------------

(ख) राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र :------------------------------

11. क्या आप संशोधित वेतनमान में हैं? यदि हां, तो वह तारीख बताएं जब से संशोधन हुआ है और अपना संशोधन पूर्व वेतनमान भी बताएं। :------------------------------

12. कुल परिलब्धियां जिनका अब प्रतिमास आहरण करते हैं। :------------------------------

13. ऐसी अतिरिक्त सूचना, यदि कोई हो, जिसे आप इस पद के लिए अपनी उपयुक्तता के समर्थन में उल्लेख करना चाहेंगे। यदि जगह अपर्याप्त है तो अलग कागज संलग्न करें।

14. क्या अ.जा./अ.ज.जा. से संबंधित हैं :------------------------------

15. अभ्युक्ति

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि आवेदन में दिए गए सभी कथन मेरे ज्ञान के अनुसार सत्य, पूर्ण और सही हैं तथा मैं चयन के बाद अपनी उम्मदवारी वापस नहीं लूंगा।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

तारीख--------------------

पता--------------------------

प्रतिहस्ताक्षर--------------------------
(नियोक्ता)

प्रमाणपत्र

i) प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती .... द्वारा दिया गया विवरण सही है।

ii) यह प्रमाणित किया जाता है कि अधिकारी के खिलाफ कोई अनुशासनिक कार्यवाही लंबित नहीं है और अथवा न ही ऐसा करने का विचार है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि पिछले 10 वर्षों के दौरान अधिकारी पर कोई छोटी/बड़ी शास्ति नहीं लगाई गई है।

iii) अधिकारी की सत्यनिष्ठा भी प्रमाणित की जाती है।

(कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर मोहर सहित)

अग्रेषण प्राधिकारी द्वारा भरा जाना है

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिए गए ब्यौरे सही हैं और अधिकारी को प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के लिए कार्य मुक्त कर दिया जाएगा। उनकी/उनका आवेदन (क) सतर्कता अनापत्ति रिपोर्ट; (ख) सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र और (ग) पिछले पांच वर्षों की ए.सी.आर./ए.पी.ए.आर. की प्रतियों सहित अग्रेषित किया जा रहा है।

हस्ताक्षर ____________________

नाम ____________________

पदनाम ____________________

(अग्रेषण अधिकारी के मंत्रालय/विभाग सहित
तिथि और कार्यालय की मुहर)